"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 569] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 सितम्बर 2024 — अश्विन 2, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 सितम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक 3355/4307–4336/ XXI-B/C.G./2024.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 13 के उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:–

"(2) नियम 5 के उप–नियम (2) के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता, निम्न कैडर में उनकी परस्पर वरिष्ठता द्वारा निर्धारित की जायेगी ।"

2. नियम 13 के उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(3) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों का परस्पर रैंक, चयन सूची में रखे गये मेरिट के क्रम में होगा।

(4) उन व्यक्तियों की वरिष्ठता, जिनका प्रकरण उप–नियम (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत नहीं है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।"

3. नियम 14 के उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(5) सेवा के सदस्य, जो विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करते हैं, वे निम्नानुसार तीन अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ के पात्र होंगे:–

(क) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल.एम. की उपाधि धारित करते हैं, वे सेवा में आने की तारीख अथवा 01/11/1999, जो भी बाद में हो, से तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के पात्र होंगे, जबकि जिन्होंने सेवा में आने के पश्चात् उक्त उपाधि अर्जित की हैं/अर्जित करते हैं, वे एलएल.एम. की उच्चतर योग्यता अर्जित करने के दिनांक से इन वेतन वृद्धियों के पात्र होंगे ।

(ख) न्यायिक अधिकारियों को एलएल.एम. की उपाधि अर्जित करने पर, प्रदान की जाने वाली 3 वेतन वृद्धियां, अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के रुप में मानी जायेंगी ।

(ग) न्यायिक अधिकारियों द्वारा आहरित की जाने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धियां, उनकी आगामी पदोन्नति और/अथवा उच्चतर वेतनमान पर उनकी पदस्थापना, यथास्थिति, पर भी जारी रहेंगी।

(घ) ऐसी आहरित की जाने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धियां, जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल) के पद के वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।"

Atal Nagar, the 23rd September 2024

NOTIFICATION

F. No. 3355/4307–4336/ XXI-B/C.G./2024.— In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh and Chhattisgarh Public Service Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (2) of rule 13, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The seniority, inter se, of persons appointed by promotion under sub-rule (2) of rule 5 shall be determined by their inter se seniority in lower cadre."

2. After sub-rule (2) of rule 13, the following sub-rule shall be added, namely:-

"(3) Persons appointed to the service by direct recruitment after commencement of these rules shall be ranked inter se in the order of merit they are placed in select list.

The seniority of persons, whose cases are not covered under sub-rule (1), (2) and (3) shall be determined in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961."

3. After sub-rule (4) of rule 14, the following sub-rule shall be added, namely:-

"(5) The members of the Service, who possess post graduate degree in Law shall be entitled to the benefit of three advance increment in the following manner:-

(a) The Judicial Officers who acquire the degree of LL.M. before joining the service shall be entitled to three additional increments from the date of joining the service or from 01/11/1999, whichever is later, while those who have acquired/acquire the same after joining the service shall be entitled to these increments from the date of acquisition of the higher qualification of LL.M.

(b) The three increments granted to the Judicial Officers on acquisition of LL.M. degree shall be treated as additional increments.

(c) The additional increments shall continue to be drawn by the Judicial Officers on their further promotion and/or placement in Higher Pay Scale, as the case may be.

(d) The additional increments so drawn shall not exceed the maximum limit of the pay scale for the post of District Judge (Super Time Scale)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHAHABUDDIN QURESHI, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.